

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2091/2010/कोटा

2. अपील संख्या 2092/2010/कोटा

मैसर्स रमणलाल मणीभाई एण्ड क0, रामगन्जमण्डी, कोटा

....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, झालावाड़.

....अप्रार्थी.

3. अपील संख्या 2093/2010/कोटा

4. अपील संख्या 159/2012/कोटा

मैसर्स किशोरकुमार विजय कुमार, रामगन्जमण्डी, कोटा

....प्रार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, रामगन्जमण्डी, कोटा

....अप्रार्थी.

5. अपील संख्या 2094/2010/कोटा

मैसर्स शिवकुमार विजय कुमार, रामगन्जमण्डी, कोटा

....प्रार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, रामगन्जमण्डी, कोटा

....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पारस पाटनी, अभिभाषक

.....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/01/2018

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 7, 8, व 10/वेट/2009-10/झालावाड़ में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.07.2010 एवं 29.09.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-झालावाड़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रार्थीगण की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित	
			आई.टी.सी	ब्याज
2091/2010	25.03.2009	2006-07	4,14,830	-
2092/2010	25.03.2009	2006-07	1,11,399	-
2093/2010	26.03.2009	2006-07	1,43,268	3,998
2094/2010	25.03.2009	2006-07	5,20,873	54,459
159/2012	23.03.2010	2007-08	3,712	21,538

लगातार.....2

2. इन सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के दौरान पाया कि प्रार्थीगण द्वारा विक्रेता व्यवहारी से कोई माल क्रय नहीं किया गया बल्कि गलत आई.टी.सी क्लेम करने के लिये कमीशन पर वेट बिल क्रय किये है। इस संबंध में विक्रेता व्यवहारी से जांच की ओर शपथ पत्र प्राप्त किये, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आलोच्य वर्षों में उनके द्वारा कोई धनिया विक्रय नहीं किया गया है, बल्कि बिल राशि का आधा प्रतिशत कमीशन लेकर वेट इनवाइस जारी किये गये उन्होंने न तो कोई धनिया खरीद किया है और न ही विक्रय गलत आई.टी.सी. क्लेम करने के लिये क्रेता व्यापारियों द्वारा फर्जी बिल प्राप्त किये गये है। बिलों की राशि का भुगतान बैंक खाते के जरिये क्रेताओं द्वारा जमा करवाया गया है। विक्रेता द्वारा जारी बिलों में प्रदर्शित कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है और न ही धनिया खरीद एवं विक्रय का जमा खर्च लेखापुस्तकों में किया गया। व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से आंशिक स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

4. प्रार्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनका आगत कर अस्वीकार कर विधिक भूल की गई है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा मैसर्स हीना ट्रेडिंग कम्पनी, रामगंज मंडी जो कि एक रजिस्टर्ड व्यवसायी है और उसके टिन नं. -08363001680 है से माल क्रय किया है यह फर्म वैट में पंजीकृत फर्म है, जिससे माल खरीद कर बहियात से इन्द्राज किया है एवं बैंक के माध्यम से माल की कीमत का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही विक्रेता फर्म मैसर्स हीना ट्रेडिंग कम्पनी में कर निर्धारण अधिकारी ने भी दिनांक 28.02.2008 को उसकी आलोच्य अवधि का कर निर्धारण करते हुये कर व ब्याज का आरोपण किया है। इस प्रकार विक्रेता फर्म जो कि वैट एक्ट में पंजीकृत व्यवसायी है उससे की गई खरीद का आगत कर स्वीकार कर आरोपित कर व ब्याज की मांग अपास्त करने का निवेदन किया गया। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त करने का निवेदन किया, जिसमें कर व ब्याज की पुष्टि की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिविरुद्ध बताते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि व्यवहारीगण द्वारा माल (धनिया) की खरीद ना करके सिर्फ बीजक का ही क्रय किया है, जिससे प्रार्थीगण की करापवंचन की दुर्भावना सिद्ध होती है। प्रार्थीगण द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आई.टी.सी. पुनः क्लेम कर राजस्व को हानि पहुँचाई है। आगे उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड एवं व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णयों का सम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण धनिया क्य कर इस पर आई.टी.सी क्लेम किया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में पाया कि प्रार्थीगण द्वारा किया गया क्लेम गलत है, तथा उनके द्वारा धनिया का क्य नहीं किया जाकर कमीशन पर वैट बिल क्य किये गये है, साथ ही उन्होंने धनियां खरीद एवं विक्रय को अपनी लेखापुस्तकों में भी नहीं दर्शाया गया और ना ही विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी बिलों में प्रदर्शित कर राजकोष में जमा करवाया है।

उक्त प्रकरणों में विक्रेता व्यापारी द्वारा दिये गये शपथ पत्रों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बिलों को फर्जी माना है। इन शपथ पत्रों में मुख्य रूप से यह लिखा गया है कि विक्रेता व्यापारी ने आलौच्य अवधियों में उनके द्वारा प्रार्थीगण को माल की कोई डिलीवरी नहीं दी है, उनके द्वारा मात्र आधा प्रतिशत कमीशन लेकर बिल जारी किये गये है, एवं बिलों की राशि का भुगतान जरिये चैक उसके बैंक खाते में जमा हुआ है और उनके द्वारा जारी सेल्फ के चेकों के आधार पर इस राशि को वापस प्रार्थीगण द्वारा उठा लिया गया है।

8. उक्त प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ अपील संख्या 869/2008/श्रीगंगानगर वा.क.अ., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सतीश गोयल एण्ड संस, श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 17.05.2012 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 18(3)(V) में यह व्यवस्था की गई है कि क्रेता व्यवसायी का यह कर्तव्य है कि वह अपने खरीद संबंधी संव्यवहार की प्रमाणिकता, सत्यता सिद्ध करें। परन्तु इन प्रकरणों में केवल कमीशन देकर बिल प्राप्त किये गये है और माल का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की जांच करने के पश्चात सिद्ध किया गया है कि आई.टी.सी का गलत लाभ लेने के लिये सुनियोजित तरीक से केवल बिल प्राप्त किये गये है एवं उसे सही साबित करने के लिये बैंक के माध्यम से भुगतान दर्शाया गया है। वस्तुतः माल की वास्तविक खरीद एवं बिक्री नहीं की गई तथा विक्रेता मालिक से जांच करने पर उसने शपथपूर्वक बयान दिये कि उसके द्वारा कोई धनिया विक्रय नहीं किया गया बल्कि बिल राशि का आधा प्रतिशत कमीशन लेकर वैट इनवाइस जारी किया गया है। इसी प्रकार वैट अधिनियम की धारा 18(3)(V) के प्रावधानों के अनुसार क्रेता व्यवहारी द्वारा खरीद संव्यवहार सही प्रमाणित करने की स्थिति में ही आई.टी.सी प्राप्त करने का हकदार है। इस संदर्भ में वैट अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान भी सुसंगत है, जो इस प्रकार है-

“ **Burden of proof :-** The Burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person”

उक्त प्रावधानों के अनुसार भी किसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता साबित करने का भार क्रेता व्यवहारी पर ही है, जो इन प्रकरणों में पूरा नहीं किया गया है।

अतएव व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि की विवादित खरीद के संव्यवहार सही होना प्रमाणित करने में असफल रहने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त खरीद पर वेट अधिनियम की धारा 18(3)(V) के तहत इनुपट टैक्स क्रेडिट का लाभ अस्वीकार किया जाकर कर एवं ब्याज का आरोपण किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है।

9. उपरोक्तानुसार राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित आई.टी.सी अस्वीकृत कर किया गया कर एवं ब्याज को यथावत रखा जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीण द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य